**बिहार सरकार**
**सामान्य प्रशासन विभाग**
**–: : आदेश : :–**

**आदेश सं०–27/आरोप–01–02/2026–सा0प्र0.................पटना–15, दिनांक................**

श्री मनोज कुमार शाही, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–565/2011, तत्कालीन जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ के विरूद्ध परिवहन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–437 दिनांक–20.01.2026 द्वारा राज्य में होने वाले Bulk LPG Tender पाने के उदेश्य से गलत/फर्जी दस्तावेज के आधार पर पता मे परिवर्तन कर अन्य राज्यों के वाहन (Tank Truck-TTs) का बिहार में गलत तरीके से निबंधन करने से संबंधित आरोप प्रतिवेदित किया गया।

उक्त प्रतिवेदित आरोप सी.डब्लू.जे.सी. सं० 6714/2025 Bihar LPG Bulk Transporters Association Vs The Union of India & Ors. में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक–26.06.2025 को पारित आदेश के आलोक में Bihar LPG Bulk Transporters Association से प्राप्त परिवाद पत्र पर प्रमंडलीय आयुक्त–सह–अध्यक्ष क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रतिवेदित किया गया।

जिला परिवहन पदाधिकारी, पूणियाँ द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि मोटर निरीक्षक, पूर्णियाँ द्वारा स्थापित नियमों के विरूद्ध 45 वाहनों का A/P निर्गत किया गया। इसके बाद श्री शाही द्वारा उक्त वाहनों का निबंधन किया गया।

श्री शाही के विरूद्ध प्रतिवेदित उक्त आरोपों एवं संबंधित दस्तावेजों की समीक्षा सक्षम प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्री शाही, दिनांक–30.11.2018 को सेवानिवृत हो चुके हैं। सेवानिवृति के बाद विभागीय पत्रांक–10252 दिनांक–30.07.2019 द्वारा इन्हें पूर्ण पेंशन, पूर्ण उपदान एवं 40% पेंशन रूपांतरण तथा पत्रांक–11880 दिनांक–29.08.2019 द्वारा देय उपार्जित अवकाश की राशि का भुगतान हेतु आदेश दिया जा चुका है।

श्री शाही के विरूद्ध प्रतिवेदित उक्त आरोप वर्ष–2018 अथवा उसके पूर्व के वर्ष के हैं। अतः श्री शाही के विरूद्ध कार्रवाई किया जाना बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम 43(बी0) एवं 139 के प्रावधानों के तहत कालबाधित हो चुकी है।

समीक्षोपरांत सक्षम प्राधिकार द्वारा श्री शाही के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों को संचिकास्त करने का निर्णय लिया गया।

अतएव सक्षम प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री मनोज कुमार शाही, कोटि क्रमांक–565/2011, तत्कालीन जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ के विरूद्ध प्रतिवेदित इस आरोप प्रकरण को संचिकास्त किया जाता है। यदि परिवहन विभाग को लगता है कि आरोप अत्यंत गंभीर प्रकृति के हैं अथवा गंभीर वित्तीय क्षति का मामला है, तो इस मामले में अन्य प्रावधानों के तहत परिवहन विभाग द्वारा कार्रवाई की जा सकती है।

ह०/–
**(शालिग्राम पाण्डेय)**
सरकार के अवर सचिव।

स्पीड पोस्ट

**ज्ञापांक–27/आरोप–01–02/2026–सा0प्र0**2788**.पटना–15, दिनांक**9.2.26

प्रतिलिपिः– अपर सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णियां प्रमंडल, पूर्णियां/जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्णियां/श्री मनोज कुमार शाही, कोटि क्रमांक–565/2011, तत्कालीन जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ सम्प्रति सेवानिवृत **वर्तमान पता**–फ्लैट नं0–105, विशाल गंगा अपार्टमेन्ट, पश्चिमी बोरिंग केनाल रोड (एफ.बी.बी. कॉल), पोस्ट–बोरिंग रोड, थाना–एस.के.पूरी, जिला–पटना, पिन–800001/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–12 एवं 14, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं आई0टी0 मैनेजर (वेब साईट पर अपलोड हेतु), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

09.02.26

सरकार के अवर सचिव।